23.04.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) 9 के तहत की गई है, जिसमें अपीलान्ट ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2014 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अपीलान्ट की ओर से नियमानुसार नगरपालिका के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की जाकर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ली गई है। द्वितीय नगरपालिका कार्यालय बालोतरा के द्वारा पत्रावली की नोटशीट पर उक्त दिनांक 22.12.2014 को गई टिप्पणी अनुसार उनके द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत न तो कोई कार्यवाही संधारित की गई है और न ही उक्त अधिनियम के तहत भूमि रूपान्तरण किये जाने सम्बन्धी निर्देश/आदेश पारित किये गये है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील में वर्णित दिनांक 22.12.2014 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं होने तथा विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं होने के कारण पोषनीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर